उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–15/2016–17

बाबूलाल साह

बनाम्

भगवती देवी वगै0

–: आदेश :–

दिनांक	
08/01/15	उत्तरवादी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बाबूलाल साह, पे0–स्व0 महावीर साह, सा0–चीनाढाब, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–66/2011–12 के आदेश दिनांक–23.02.2016 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–66/2011–12 के आदेश दिनांक–23.02.2016 के द्वारा मौजा–चीनाढाब जमाबंदी सं0–62 रकवा 01–04–09 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–चीनाढाब नं0–436 जमाबंदी नं0–62 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शामलाल राय के नाम से दर्ज है। शामलाल राय का पुत्र फुला राय हुए। फुला राय की मृत्यु नावल्द हो गयी है। फुला राय ने अपने मृत्यु के पहले उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1005 रकवा 00–03–19 धुर, दाग नं0–1006 रकवा 00–04–15 धुर, दाग नं0–1007 रकवा 00–09–04 धुर एवं दाग नं0–1008 रकवा 00–06–11 धुर कुल रकवा 01–04–19 धुर जमीन भूदान यज्ञ समिति, देवघर को दान में दिया था। भूदान यज्ञ समिति, देवघर को भूदान से प्राप्त जमीन का वितरित करने का पूर्ण अधिकार था। भूदान यज्ञ समिति, देवघर ने भूदान प्रमाण पत्र के द्वारा उक्त जमीन अपीलकर्त्ता को दिया। जिसका भूदान प्रमाण पत्र सं0–5021 दिनांक–02.07.1978 है। अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन भूदान यज्ञ समिति, देवघर से प्राप्त होने के बाद चहार–दिवारी से घेरा बंदी किया गया। उक्त जमीन में से कुछ जमीन पर मकान बनाया तथा खाली जमीन पर विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधे लगाया है। अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर लंबी अवधि से दखल कब्जा है। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी अपीलकर्त्ता का नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार

अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर दखज कब्जा करने का कानूनी आधार है। क्योंकि अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राप्त हुआ है। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों पर विचार नहीं किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1014/रा० दिनांक–02.11.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चीनाढाब थाना संख्या–436 जमाबंदी नम्बर–62 कुल रकवा 01–04–09 धुर जमीन गत सर्वे खतियान एवं पंजी–2 में शामलाल राय वल्द भागीरथ राय कौम–घटवाल साकिन देह के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता बाबूलाल साह पिता–स्व० महावीर साह को प्रश्नगत भूमि बिहार भू–दान यज्ञ कमिटि द्वारा दान में प्राप्त है। साथ ही परिवार के साथ उक्त भूमि पर घर बनाकर निवास कर रहा है। उत्तरवादी भगवती देवी का जमाबंदी रैयत से क्या संबंध है, इसके बारे में ग्रामीणों के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। साथ ही लोगों ने बताया कि जमाबंदी रैयत के पुत्र फुला राय को कोई संतान नहीं था और फुला राय के मृत्यु के बाद से जमाबंदी रैयत का कोई भी उत्तराधिकारी गाँव में नहीं है। वर्णित भूमि लगभग तीस वर्षो से अधिक समय से अपीलकर्त्ता के दखल कब्जा में है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है। उनका मंतव्य है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा के पंजी–2 में उक्त जमाबंदी की जमीन में गत जमाबंदी रैयत का नाम दर्ज है तथा अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये पट्टा का सम्पुष्टि राजस्व पदाधिकारी (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा) के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि बिहार भूदान यज्ञ नियमावली, 1955 के अनुसार भूदानी पट्टा का सम्पुष्टि कराना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–चीनाढाब जमाबंदी नं०–62 में कुल रकवा 01–04–09 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शामलाल राय वल्द भागीरथ राय के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत कुल रकवा 01–04–19 धुर जमीन भूदान से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन वादगत जमीन रैयती जमीन है, जिसका हस्तांतरण संथाल परगना काश्तकारी

(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भूदान प्रमाण पत्र तो दाखिल किया है। लेकिन उक्त प्रमाण पत्र के साथ उक्त भूदान पत्र का सम्पुष्टि से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–66/2011–12 के आदेश दिनांक–23.02.2016 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के पुत्र फुला राय को कोई पुत्र नहीं था। फुला राय के मृत्यु के बाद से जमाबंदी रैयत का कोई भी उत्तराधिकारी गाँव में नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त जमाबंदी की जमीन फौती होने लायक है। अतएव उक्त जमाबंदी को फौती घोषित किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि उक्त जमाबंदी की जमीन को अपने कब्जे में करके चार सप्ताह के अंदर न्यायालय को अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी0रो0– 26
11.02.22

Seen
10/02/2022

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:40:50 +05:30
Location: 192.168.29.8